भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1887
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र

1887. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या अस्पतालों में जन औषधि केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और देशभर में उक्त केन्द्रों की मांग बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अब तक आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले तीन वर्षों में दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में कुल कितने जन औषधि केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है; और

(ङ) इन प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से देश के आम आदमी को प्रदान किए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत दिनांक 30.11.2024 तक देश भर में कुल 14,320 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं। दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में 38 जेएके, महाराष्ट्र में 702 केंद्र और मध्य प्रदेश में 516 केंद्र खोले गए हैं। खोले गए जेएके की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): पीएमबीजेपी के तहत सरकार उद्यमियों को निम्नलिखित माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है: -

i. सभी उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे जेएके जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े हैं, को प्रति माह 20000 रुपये तक का खरीद-आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

ii. पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए जेएके अथवा महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और एससी एवं एसटी द्वारा खोले गए जेएके को 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन (फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य फिक्स्चर के लिए सहायता के रूप में) प्रदान किया जाता है।

सरकारी अस्पताल परिसर या किसी अन्य अस्पताल सहित किसी भी स्थान पर ऐसे केंद्र खोले जाने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को उपरोक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटन नहीं है।

(घ): सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का निर्णय लिया है। नए जेएके खोलने के लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य नहीं है।

(ङ): जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से देश के आम लोगों को प्रदान किए जा रहे लाभों का विवरण निम्नानुसार है:-

- पीएमबीजेपी के तहत, दिनांक 30.11.2024 तक कुल 14,320 जन औषधि केन्द्र (जेएके) खोले गए हैं।
- जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से बिक्री के लिए लगभग 2047 प्रकार की दवाइयों और 300 सर्जिकल/उपकरणों को उत्पाद संख्या में शामिल किया गया है। जन औषधि दवाओं की कीमत बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य की तुलना में कम से कम 50% और कुछ मामलों में 80% तक कम है।
- पिछले 10 वर्षों में, केन्द्रों के माध्यम से 6462.00 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री की गई है, जिससे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।
- औसतन 10-12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों पर आते हैं और वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाते हैं।
- उपरोक्त के अलावा, महिलाओं के लिए वहनीय कीमतों पर मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जेएके के माध्यम से 1 रुपये प्रति पैड की दर से जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिनांक 30.11.2024 तक, इन केंद्रों के माध्यम से 64.00 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैडों की बिक्री की जा चुकी है।
- इसके अलावा, इस योजना ने जेएके संचालित करने वाले उद्यमियों को स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी प्रदान किया है।

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 06.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1887 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2024 तक जन औषधि केन्द्रों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कार्य कर रहे जन औषधि केन्द्रों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	9
2	आंध्र प्रदेश	270
3	अरुणाचल प्रदेश	34
4	असम	164
5	बिहार	747
6	चंडीगढ़	10
7	छत्तीसगढ	233
8	दिल्ली	485
9	गोवा	15
10	गुजरात	726
11	हरियाणा	376
12	हिमाचल प्रदेश	69
13	जम्मू और कश्मीर	313
14	झारखंड	138
15	कर्नाटक	1373
16	केरल	1458
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	516
20	महाराष्ट्र	702
21	मणिपुर	49
22	मेघालय	23
23	मिजोरम	15
24	नागालैंड	21
25	ओडिशा	644
26	पुदुचेरी	32
27	पंजाब	481
28	राजस्थान	455
29	सिक्किम	12
30	तमिलनाडु	1300

31	तेलंगाना	198
32	दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव	38
33	त्रिपुरा	29
34	उत्तर प्रदेश	2533
35	उत्तराखंड	303
36	पश्चिम बंगाल	546
	कुल योग	**14,320**